XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – आर.एन./4–2/आर./977/93 जिला – मुरैना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
3-9-15	प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के प्रकरण कमांक 174/85–86/अपील .चं. में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 31–7–93 के विरूद्ध पेश की गई है । आलोच्य आदेश द्वारा अपर आयुक्त ने अनावेदक कमांक 6 जगदीश प्रसाद द्वारा जाप्ता दीवानी के आदेश (1) नियम 10 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन को स्वीकार किया गया है । 2/ दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्क श्रवण किये गये आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने संहिता की धारा 32 के अंतर्गत आदेश दिनांक 18–1–91 को निरस्त करके अनावेदक कमांक 6 जगदीश को मृतक रामदीन को उत्तराधिकारी मानने में अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटि की है । मृतक रामदीन के उत्तराधिकारी अभिलेख पर आ चुके थे और 18–1–91 का आदेश अंतिम हो चुका था । उक्त आदेश के पुनरावलोकन की अनुमति लिए बिना उसे संहिता की धारा 32 के तहत निरस्त करने में अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटि की है । आदेश पारित करने के पूर्व किसी प्रकार की जांच भी नहीं की गई है । 3/ अनावेदकों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि वह आवश्यक पक्षकारथा उसे पक्षकार नहीं बनाया गया । अतः अपर आयुक्त ने उनके द्वारा प्रस्तुत आवेदन को स्वीकार करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है ।	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	4/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त ने अपने आदेश में उल्लेख किया है कि व्यवहार न्यायालय के आदेश दिनांक 27–2–91 में जगदीश को मृतक रामदीन का वैध उत्तराधिकारी माना गया है , और व्यवहार न्यायालय के निर्णय के आधार पर अपर आयुक्त ने जगदीश को मृतक रामदीन के स्थान पर पक्षकार बनाए जाने के आदेश दिए हैं । अपर आयुक्त का यह निष्कर्ष भी उचित है कि प्रकरण में पुनरावलोकन के प्रावधान लागू नहीं होते क्योंकि दिनांक 18–1–91 को आदेश पारित करते समय जगदीश का मृतक रामदीन का वैध उत्तराधिकारी होने संबंधी तथ्य की जानकारी न्यायालय को नहीं थी । अतः अपर आयुक्त ने मृतक रामदीन के स्थान पर जगदीश को पक्षकार बनाए जाने का जो आदेश दिया है वह अपने स्थान पर उचित और न्यायिक है और उसमें हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है । उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी निरस्त की जाती है । तथा अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश स्थिर रखा जाता है । उभयपक्ष सूचित हों एवं अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख वापिस हों । सदस्य	

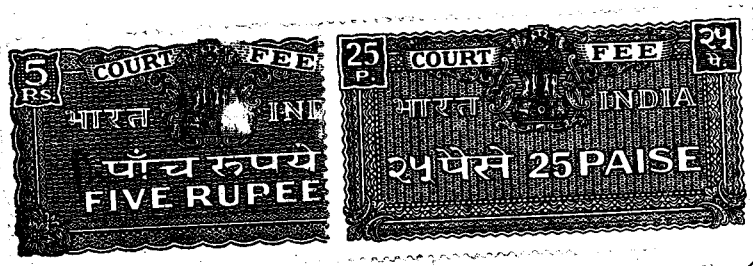

COURT FEE 5 Rs. भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

COURT FEE 25 P. भारत INDIA २५ पैसे 25 PAISE

C.F. Rs. 7.50

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक १८३ निगरानी

शिवनारायण पुत्र व्दारिका प्रसाद ब्राह्मण निवासी सरकंडा तहसील पोरसा जिला मुरैना, हाल निवासी वाटर वर्क्स रोड अम्बा जिला मुरैना ----- आवेदक

RN/42/R/977/93

श्री पी०डी० गुप्ता 1.11.93

विरुद्ध

१-	गीताराम	पुत्रगण श्री रामेश्वर दयाल
२-	विजय कुमार	
३-	रामसहाय	पुत्रगण रामलखन
४-	नत्थी	

५- महिला कपूरी विधवा माताप्रसाद पुत्री रामलखन ब्राह्मण, समस्त निवासी नवासीपुरा मुरैना जिला मुरैना (म०प्र०)

६- जगदीश प्रसाद पुत्र रामेश्वर दयाल निवासी सरकंडा तहसील पोरसा जिला मुरैना ---अनावेदकगण

निगरानी विरुद्ध आज्ञा श्री अपर आयुक्त महोदय चम्बल सम्भाग ग्वालियर तारीख ३१-७-९३ प्रकरण 174/85-86 अपील नं० शिवनारायण बनाम गीताराम, अन्तर्गत धारा ५० भू-राजस्व संहिता ।

माननीय महोदय,

श्रीमान् जी निगरानी आवेदक निम्न कारणों पर